राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर

आदेश

एकल पीठ सिविल रिट याचिका (पेरोल) संख्या12286/2009

सांवर उर्फ सांवरसिंह **बनाम** राजस्थान राज्य।

दिनांक:29/7/2010

माननीय न्यायाधिपति श्री महेशचन्द्र शर्मा

प्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

श्री प्रदीप श्रीमाल लोक अभियोजक उप0

न्यायालय द्वारा-

प्रार्थी की ओर से माननीय मुख्य न्यायाधिपति को संबोधित पत्र प्राप्त होने पर उसे रिट याचिका के रुप में पंजीबद्व किया गया है जिसमें प्रार्थी ने स्वयं को पेरोल पर छोडे जाने की प्रार्थना की है।

इसका राज्य सरकार की ओर से विस्तृत जवाब प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र एवं राज्य सरकार के जवाब का ध्यानपूर्वक अनुशीलन करने के उपरान्त, मैं प्रार्थी को पेरोल पर छोडना उपयुक्त नहीं समझता हूं।

अत: प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह रिट याचिका बलहीन होने के कारण निरस्त की जाती है। फिर भी प्रार्थी को यह स्वतन्त्रता प्रदान की जाती है कि वह संबंधित अधिकारी के समक्ष अपना पेरोल प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर सकेगा।

(महेशचन्द्र शर्मा)

न्यायाधिपति

/राम/